पुरस्कार योजनाएं

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना

इस योजना के अंतर्गत राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों/स्वायत्त निकायों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाता है। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य भी शामिल किए जाते हैं।

श्रेणी	विवरण	पुरस्कार
मंत्रालय/विभाग	300 से कम स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय 300 से अधिक स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय	03 शील्डें 03 शील्डें
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	क क्षेत्र में स्थित उपक्रम ख क्षेत्र में स्थित उपक्रम ग क्षेत्र में स्थित उपक्रम	03 शील्डें 03 शील्डें 03 शील्डें
बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि	क क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ख क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ग क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि	03 शील्डें 03 शील्डें 03 शील्डें
राष्ट्रीयकृत बैंक	क , ख तथा ग क्षेत्र के किए प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	क, ख तथा ग क्षेत्र में स्थित न.रा.का.स. को एक-एक पुरस्कार	06 शील्डें
गृह पत्रिका	क, ख तथा ग क्षेत्रों के लिए प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें

उपरोक्त राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के ब्यौरे के लिए योजना का संकल्प (सं. 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) दिनांक 25-03-2015, दिनांक 14.07.2016, दिनांक 31.10.2016, दिनांक 20.02.2017 तथा दिनांक 22.03.2018) देखें ।

राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना

(i) राजभाषा गौरव मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना (केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए)

केंद्रीय सरकार में सेवारत या सेवानिवृत्त कार्मिकों को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य/ विद्वान भी शामिल किए जाते हैं। वर्ष 2017 के दौरान तथा इसके बाद लिखी गई पुस्तकों की पुरस्कार की राशि निम्न प्रकार है:

प्रथम पुरस्कार	:	1,00,000 रू., प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार	:	75,000 रू., प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	:	60,000 रू., प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

(ii) राजभाषा गौरव ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना (सभी नागरिकों के लिए)

यह योजना आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में देश का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य/ विद्वान भी शामिल किए जाते हैं। वर्ष 2017 के दौरान तथा इसके बाद लिखी गई पुस्तकों की पुरस्कार की राशि निम्न प्रकार है:

प्रथम पुरस्कार (एक)	दो लाख रू0, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार (एक)	एक लाख पच्चीस हजार रू0, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक)	पचहत्तर हजार रू0, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

(iii) <u>राजभाषा गौरव उत्कृष्ट लेखों के लिए पुरस्कार योजना (केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए)</u>

केन्द्र की नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं । इसी के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु एक पुरस्कार योजना शुरू की गई है । इस योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट लेख के लेखकों को दो वर्गों, हिंदी और हिंदीत्तर, में तीन-तीन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हिंदी भाषी लेखकों को क्रमश: 20,000 रुपये, 18,000 रुपये एवं 15,000 रुपये तथा हिंदीत्तर भाषी लेखकों को 25,000 रुपये, 22,000 रुपये एवं 20,000 रुपये नकद राशि का पुरस्कार दिया जाता है ।

उपरोक्त राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के ब्यौरे के लिए योजना का संकल्प (सं. 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) दिनांक 25-03-2015) देखें ।